


राजस्थान -सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/आर-612/18/ दिनांक:-

आदेश

श्री राजकुमार जैन, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करेडा बुजुर्ग (टोंक) का वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण मे निम्न प्रकार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 17.02.16 से दिनांक 07.03.16 तक -20 दिवस



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/आर-612/18/768

दिनांक:- 31/05/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।